



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकडा

दिनांक 06.11.2025

थाना खेकडा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 390/25 धारा 303(2) बीएनएस व मु0अ0सं0 393/25 धारा 303(2) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए प्रकाश में आये 04 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से चोरी किये हुए 11 लोहे के बाट, 15 अच्युटर मोटर कम्पनी (AUMA) व 02 बैटरी बरामद।

संक्षिप्त विवरण-

1.दिनांक

03.11.2025 को थाना खेकडा पर आवेदक दिनेश कुमार मैनेजर पायनियर ड्रिलिंग कम्पनी पुत्र श्री प्रेमचन्द निवासी 503 ग्राउन्ड फ्लॉर सैक्टर 4 वैशाली गाजियाबाद ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात चोर द्वारा काठा रोड पर बन रही



पानी की टंकी से संबंधित सामान 16 एचयुटर मोटर, 03 ट्रैक्टर के बैट्ररे, 01 जेसीबी का ब्रेकर, पीतल की एक हजार टोटी, दो हैल्टी मशीन, 8 बेंड लोहे के चोरी कर लिये है। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 390/25 धारा 303(2) बीएनएस -2023 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

2.दिनांक 05.11.25 को थाना खेकडा पर आवेदक इन्द्रपाल पुत्र बनवारी निवासी ग्राम बसी थाना खेकडा जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात चोर द्वारा बागपत शुगर मिल के तौल केन्द्र B व तौल केन्द्र C पर तौल केन्द्र के बाट चोरी कर लिये है। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 393/25 धारा 303(2) बीएनएस -2023 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं० 390/25 धारा 303(2) बीएनएस -2023 व मु०अ०सं० 393/25 धारा 303(2) बीएनएस -2023 का सफल अनावरण करते हुए प्रकाश में आये शातिर 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जिनके कब्जे से चोरी किये हुए लोहे के 07 बाट (20 किलोग्राम), 03 बाट (10 किलोग्राम), 01 बाट (05 किलोग्राम), 15 अच्यूटर मोटर कम्पनी (AUMA) व 02 बैटरी बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर विधिक कार्यवाही की जा रही है। बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई।

गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम व पता-

1. शाहरुख पुत्र यामीन निवासी ईदारा मस्जिद के पास मौ० चाक कस्बा व थाना बडौत जिला बागपत उम्र करीब 22 वर्ष।
2. आसिफ पुत्र आस मौ० निवासी नया बस अड्डा कस्बा रटौल थाना रटौल जिला बागपत उम्र करीब 19 वर्ष।
3. सुहैल पुत्र पप्पन यामीन निवासी बाजार रटौल थाना खेकडा जिला बागपत उम्र करीब 19 वर्ष।
4. इरशाद पुत्र इस्लाम निवासी बुद्ध नगर थाना अंकुर विहार जिला गाजियाबाद उम्र करीब 42 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

- 07 बाट 20 किलोग्राम (लोहा), 03 बाट 10 किलोग्राम (लोहा), 01 बाट 05 किलोग्राम (लोहा) (सम्बन्धित मु०अ०सं० 393/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना खेकडा जिला बागपत।)
- 15 अच्यूटर मोटर कम्पनी (AUMA) व 02 बैटरी (सम्बन्धित मु०अ०सं० 390/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना खेकडा जिला बागपत।)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० श्री दीपक कुमार थाना खेकडा जिला बागपत।
2. उ०नि० श्री अबरार हुसैन थाना खेकडा जिला बागपत।
3. है०का० 53 रविन्द्र कुमार थाना खेकडा जिला बागपत।
4. है०का० 785 सुनील कुमार थाना खेकडा जिला बागपत।

5. है0का0 218 धर्मेन्द्र भाटी थाना खेकडा जिला बागपत ।

6. का0 435 नवीन नागर थाना खेकडा जिला बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली खेकडा दिनांक 06/11/2025

थाना खेकडा पुलिस ने चैकिंग के दौरान 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से चोरी किया हुआ गला हुआ ताँबा करीब 20 किलो, ताँबे का तार करीब 50 किलो व ताँबे का केबिल करीब 25 किलो व एक अवैध चाकू बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली खेकडा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान चोरी किया हुआ सामान ले जाते समय 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है । जिनके कब्जे से गला हुआ ताँबा करीब 20 किलो, ताँबे का तार करीब 50 किलो व ताँबे का केबिल करीब 25 किलो व एक अवैध चाकू बरामद हुआ है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर मु0अ0स0 394/25 धारा 317(5) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया एवं आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

- 1.फिरोज पुत्र यामीन निवासी घडी मौहल्ला पट्टी मुण्डाला कस्बा व थाना खेकडा जनपद बागपत उम्र करीब 24 वर्ष
- 2.आरिफ पुत्र बाबू निवासी सद्दीक नगर सरस्वती पार्क के पास कस्बा खेकडा थाना खेकडा जनपद बागपत उम्र करीब 26 वर्ष ।
- 3.आफताब पुत्र असलम निवासी ग्राम बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बार्डर जिला गाजियाबाद उम्र करीब 27 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण:-

- गला हुआ ताँबा करीब 20 किलो ।
- ताँबे का तार करीब 50 किलो ।
- ताँबे का केबिल करीब 25 किलो ।
- एक अवैध चाकू ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.उ0नि0 श्री कपिल कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 2.उ0नि0 श्री कुलजीत सिंह थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 3.है0का0 86 अजय कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 4.है0का0 793 राजेश कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।



BAGHPAT POLICE



साइबर क्राइम सेल , जनपद बागपत

साइबर क्राइम सेल , जनपद बागपत के द्वारा एक व्यक्ति से हुई ऑनलाइन रुपयों की धोखाधड़ी में सम्पूर्ण 1,00000/- रुपये वापस कराये गये-

1-पीडित श्री रवित कुमार राणा पुत्र श्री ओमपाल सिंह निवासी ग्राम निरपुडा, थाना दोघट, जनपद बागपत बागपत के द्वारा NCRP पोर्टल पर ACKNOWLEDGEMENT नं0 33109250129210 पर 1,00000 रुपये खाते से कटने की शिकायत की गयी । जिसके फलस्वरूप साइबर सेल, जनपद बागपत द्वारा शिकायत को तत्काल संज्ञान में लेते हुए त्वरित विधिक कार्यवाही की गयी, पीडित के बैंक खाते से कटे सम्पूर्ण धन राशि 1,00000 रुपयों को वापस कराया गया ।



रुपये वापस मिलने पर पीड़ित द्वारा बागपत पुलिस की प्रशंसा करते हुए
आभार व्यक्त किया गया ।

क्र०सं०	थाना	प्रा० पत्र सं०	वापस करायी गयी धनराशि
1	साइबर क्राइम सेल	33109250129210	1,00000/-

